यूको बैंक

UCO BANK

असाधारण आम बैठक हेतु सूचना

बुधवार, 20 फरवरी, 2019

पूर्वाह्न 11.00 बजे

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Wednesday, 20th February, 2019

11.00 a.m.

प्रधान कार्यालय : 10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता - 700001

Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

वेबसाइट / **Website : www.ucobank.com**

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालयः 10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता-700001

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा भवन सभागार, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडेयर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027 में निम्नलिखित कार्यों को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगीः

मद सं. 1: भारत सरकार को आधिमानता के आधार पर साम्या शेयर निर्गत करना।

निम्नांकित संकल्प पर विचार करना और यदि उसे ठीक माना जाता है तो उसे एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

यह संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार(जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), और/या इस बारे में अन्य कोई प्राधिकरण जिसकी आवयकता हो, के अनुमोदनों, अनुमतियों और मंजूरियों, यदि कोई हों, के अधीन तथा ऐसे नियमों, शर्तों एवं संशोधनों के अधीन जो कि उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों को मंजूरी देते समय निर्दिष्ट किए जाएँ, जिन पर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो तथा जो सेबी (पूँजी निर्गमन एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारतीय रिज़र्व बैंक एवं सभी अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर विहित विनियमों के अधीन, बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीकृत करनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौतों के अधीन, भारत सरकार को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2018 के विनियम 164(1) के अनुसरण में निर्धारित कुल रू. 3076 करोड़ (रुपये तीन हजार छिहत्तर करोड़ मात्र) के प्रतिशेयर रु. 10.95 (दस रुपये पचानवे पैसे मात्र) के प्रीमियम सहित, प्रति ईक्विटी शेयर रु. 20.95 (बीस रुपये पचानवे पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक रू.10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 146,82,57,756 (एक सौ छियालीस करोड़ बेरासी लाख सत्तावन हजार सात सौ छप्पन रुपये मात्र) ईक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद 'मंडल' कहा जाएगा) को इसके माध्यम से दी जाती है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि उक्त निर्गम अधिमानिता के लिए संबंधित तारीख 21 जनवरी, 2019 होगी।

यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रस्ताव में ऐसे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्तियाँ निदेशक मंडल में निहित होंगी जिसे भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें बैंक के शेयर सूचीकृत हैं, या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्गमन, आबंटन एवं उनके सूचीकरण हेतु अपने अनुमोदन, सम्मति, अनुमति एवं संस्वीकृति देते/ प्रदान करते समय आवश्यक समझा जाए या अधिरोपित किया जाए और जिसमें निदेशक मंडल की सहमति हो।

यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होनेवाले उक्त ईक्विटी शेयर, बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों की समतुल्य श्रेणी के होंगे और लाभांश घोषित करने के समय यदि होतो लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित लाभांश के हकदार होंगे।

यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, उसके विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवयकता न पड़े, अथवा इस उद्देय या प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्ही शक्तियों को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त मानता है।

मद संख्या - 2 : यूको बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना 2019 के अंतर्गत शेयरों का निर्गम एवं आबंटन :

विचारार्थ एवं यदि समुचित समझा गया तो निम्नलिखित संकल्प एक विशेष संकल्प के रूप में पारित हो :

यूको बैंक UCO BANK

Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UCO Bank will be held on Wednesday, the 20th February, 2019 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027 to transact the following business:

Item No. 1: Issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

To consider and if thought fit pass the following resolution as a special resolution(s):

RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board") to create, offer, issue and allot 146,82,57,756 (One hundred Forty Six Crore Eighty Two Lakh Fifty Seven thousand Seven hundred Fifty Six) equity shares of face value of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at an issue price of Rs.20.95 (Rupees Twenty and paise Ninety Five) per equity share including premium of Rs.10.95 (Rupees Ten and paise Ninety Five) per share determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2018 aggregating to Rs. 3076 crore (Rupees Three Thousand and Seventy Six Crore only) on preferential basis to Govt. of India.

RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for the aforesaid preferential issue is 21st January 2019.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.

Item No. 2 : Issue & Allotment of Shares under UCO Bank Employee Share Purchase Scheme-2019.

To consider and if thought fit, pass the following resolution as a Special Resolution:

संकल्प लिया जाता है कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014 (आगे जिसे सेबी इएसपीएस विनियम कहा जाएगा), के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है तथा जिसे समय-समय पर संशोधित सेबी के परिपत्र सं सीआईआर/सीएफडी/ पालिसी सेल/2/2015 दिनांक जून 16, 2015 बैंकिंग कंपनी (अर्जन तथा उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक, (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम 2003 (आगे जिसे बैंक विनियम कहा जाएगा), सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 (आगे जिसे सेबी सूचीकरण अपेक्षाएं कहा जाएगा), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (आगे जिसे सेबी अधिनियम कहा जाएगा), सिक्यूरिटी करार (विनियम) अधिनियम, 1956 जिसमें सिक्युरिटी करार (विनिमय) नियम 1957 (जिसे आगे एससीआरए/एससीआरआर कहा जाएगा), आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम), डिपोजिटरी अधिनियम 1996 (फेमा), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यष्टि द्वारा प्रतिभूति का अंतरण तथा निर्गम) विनियम 2000, जिसमें इस विनियम में किए गए किसी सांविधिक संशोधन तथा आशोधन या उसका पुनः अधिनियमन जो इस समय प्रवृत्त है तथा जो सेबी (भेदिया कारोबार निरोध) विनियम, 1992, के अध्यधीन है, सेबी (कपटपूर्ण तथा अनुचित व्यापार रीति निरोध) विनियम 2003 तथा सेबी (शेयरों का ठोस अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम 2001 शामिल है और जो भारत सरकार (आगे जिसे भास कहा जाएगा), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (आगे जिसे सेबी कहा जाएगा), भारतीय रिज़र्व बैंक (आगे जिसे भारिबैं कहा जाएगा) वह स्टाक एक्सचेंज जिसमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं तथा उन समुचित सांविधिक, विनियामक, सरकारी एवं अन्य प्राधिकारी एवं अन्य विभाग जो इस संबंध में प्रयोज्य हों, के अनुमोदन तथा अन्य वैसे आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों, संस्वीकृतियों तथा जो वैसे प्राधिकारी (यों) द्वारा उस प्रकार के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों, संस्वीकृतियों को प्रदान करते समय किए गए वैसे संशोधनों, आशोधनों के अध्यधीन है, को शेयरधारकों का अनुमोदन है और एतद्द्वारा दिया जाता है कि निदेशक मंडल/समिति रु. 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के एक एवं एक से अधिक खेप में 20,00,00,000 (बीस करोड़) के ईक्विटी बैंक के पात्र कर्मचारियों को यूको बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना जिसको यूको इएसपीएस - 2019 नाम दिया गया है, के माध्यम से निदेशक मंडल/समिति द्वारा जैसा उचित समझा जाए उन कीमतों तथा उन नियमों एवं शर्तों पर निर्गत किए जाएँ।

आगे संकल्प लिया जाता है कि उक्त यूको इएसपीएस - 2019 के अंतर्गत जारी तथा आबंटित किए जाने वाले सभी नए शेयर सभी मामलों में जिसमें लाभांश का भुगतान करना भी शामिल है, बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के समान श्रेणी के होंगे।

आगे संकल्प लिया जाता है कि बैंक सेबी विनियम के विनियम 15 में यथा विनिर्दिशष्ट लेखाकरण नीति अथवा उसके किसी भी आशोधन(नों) संशोधन (नों) तथा पुन: अधिनियमन (मों) के अनुसार चलेगा।

आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल/समिति को अधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है कि जिस स्टाक एक्सचेंज में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हुए हैं उस स्टाक एक्सचेंज में यूको इएसपीएस - 2019 के अंतर्गत जारी तथा आबंटित इक्विटी शेयरों के सूचीकरण के लिए वह आवश्यक कदम उठाए।

आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल/समिति को अधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है कि वह यूको इएसपीएस - 2019 के सम्यक निरूपण तथा कार्यान्वयन के लिए निदेशक मंडल/समिति द्वारा यथा निर्णीत नियम एवं शर्तों के अनुरूप अपने निरपेक्ष विवेक के अनुसार जब तक कि वह किसी सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देश द्वारा वांछित न हो तब तक बैंक के कर्मचारी (यों) के हित के अप्रतिकूल जो अवश्यक, उचित तथा वांछित समझे वे सभी कृत्य, कार्य, व्यवहार तथा काम करे तथा यूको इएसपीएस - 2019 के निबंधनों एवं शर्तों में समय-समय पर वैसे आशोधन, परिवर्तन, विचलन, परिवर्धन तथा पुनर्विचार करे। निदेशक मंडल/ समिति कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड को ही शामिल नहीं करेगा वरन उसे निदेशक मंडल/समिति अपने पूर्ण विवेकाधिकार से जिस प्रकार नियत करे उस प्रकार से यूको इएसपीएस - 2019 को निलंबित करने, वापस लेने, समाप्त करने की कार्रवाई भी करेगा।

आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल/समिति को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि "यूको इएसपीएस – 2019" के माध्यम से ईक्विटी शेयरों को जारी करने के मार्ग में जो भी प्रश्न, कठिनाई अथवा संशय उठें वह उसका समाधान करे तथा वे सभी कृत्य, कार्य, व्यवहार तथा काम करे तथा शेयरधारकों से आगे किसी प्रकार की सहमति की अपेक्षा के बिना सभी दस्तावेज़ तथा लेख जिसे वह अपने संपूर्ण विवेक के अनुसार उचित, सम्यक, आवश्यक, वांछनीय तथा समीचीन समझे, निष्पादित करे अथवा इस उद्देश्य तथा अभिप्राय से प्राधिकृत करे मानों शेयरधारक इस संकल्प के प्राधिकार से स्पष्ट रूप से इस बात का अनुमोदन करते हैं।

RESOLVED THAT, pursuant to the applicable provisions of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (hereinafter referred to as the "SEBI ESPS Regulations"), as amended from time to time, read with SEBI Circular CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated June 16, 2015, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, Banking Regulation Act 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003 (hereinafter referred to as "Bank Regulations"), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations"), Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (hereinafter referred to as "SEBI Act") as amended from time to time, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 including Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (hereinafter referred to as "SCRA"/"SCRR"), Income Tax Act, 1961 ("IT Act"), Depositories Act 1996 and the rules framed thereunder, including any statutory amendments thereto or modifications or re-enactments thereof for the time being in force, and subject to the SEBI (Prevention of Insider Trading) Regulations 1992, SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) Regulations 2003, and subject to the approvals of the Government of India (hereinafter referred to as "GoI"), Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "SEBI"), Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI"), Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed, and from such other appropriate statutory, regulatory, Government and other authorities and departments as may be applicable in this regard, and such other approvals, consents, permissions and sanctions, as may be necessary, and subject to such conditions and modifications as may be prescribed or imposed upon by any such authority(ies) while granting such approvals, consents, permissions and sanctions, the consent of the Shareholders be and is hereby accorded to the Board of Directors or the committee to grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, up to 20,00,00,000 (Twenty crore) equity shares of face value of Rs.10/- each to the eligible employees of the Bank, through implementation of an Employee Share Purchase Scheme to be named as UCO ESPS-2019 at such price or prices, and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board/ Committee.

RESOLVED FURTHER THAT, all the new equity shares to be issued and allotted under the UCO Bank ESPS 2019 as aforesaid shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects, including payment of dividend.

RESOLVED FURTHER THAT, the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI ESPS Regulations or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof.

RESOLVED FURTHER THAT, the Board/Committee be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "UCO Bank ESPS 2019", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed.

RESOLVED FURTHER THAT, the Board/Committee be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable for proper formulation and implementation of the "UCO Bank ESPS 2019" on such terms and conditions as may be decided by the Board/ Committee and to make from time to time, such modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "UCO Bank ESPS 2019" which shall not be detrimental to the interest of the Employee(s) of the Bank unless the same is required to comply with any statutory or regulatory guidelines, shall include but not be limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "UCO Bank ESPS 2019" in such manner as the Board/Committee may determine in its sole discretion.

RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board/Committee be and is hereby authorised to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares through implementation of the "UCO Bank ESPS 2019" and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may in its absolute discretion deem fit, proper, necessary, desirable or expedient without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or authorise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल/समिति को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वह यहां प्रदत्त सभी शक्तियों या किसी एक शक्ति को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा कार्यपालक निदेशक अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकारी (यों) में प्रत्यायोजित करे।

मद संख्या. 3: अर्ह सांस्थिक प्लेसमेंट के माध्यम से ईक्विटी पूंजी उत्थापन :

निम्नलिखित विशेष संकल्प विचारार्थ तथा यदि उचित समझा जाए तो पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत:

संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (अर्जन तथा उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 (आगे जिसे अधिनियम कहा जाएगा), बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक, (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम 2003 (आगे जिसे बैंक विनियम कहा जाएगा), सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 (आगे जिसे सेबी सूचीकरण अपेक्षाएं कहा जाएगा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (आगे जिसे सेबी अधिनियम कहा जाएगा), जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुए हैं तथा सिक्यूरिटी करार (विनियम) अधिनियम, 1956 जिसमें सिक्युरिटी करार (विनियम) नियम 1957 (जिसे आगे एससीआरए/एससीआरआर कहा जाएगा) आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम), डिपोज़िटरी अधिनियम 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, (भारत से बाहर रहने वाले व्यष्टि द्वारा प्रतिभूति का अंतरण तथा निर्गम) विनियम, 2017 जिसमें कोई भी सांविधिक संशोधन एवं आशोधन अथवा पुनः अधिनियमन जो इस समय प्रवृत्त है तथा जो सेबी (भेदिया कारोबार निरोध) विनियम, 1915, सेबी (कपटपूर्ण तथा अनुचित व्यापार रीति निरोध) विनियम 2003, सेबी (शेयरों का ठोस अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम 2011 के अध्यधीन है, शामिल है तथा जो भारत सरकार (आगे जिसे भास कहा जाएगा), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आगे जिसे सेबी कहा जाएगा), भारतीय रिज़र्व बैंक (आगे जिसे भारिबैं कहा जाएगा) वह स्टाक एक्सचेंज जिसमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के अनुमोदनों तथा जो इस संबंध में प्रयोज्य हों उन समुचित सांविधिक, विनियामक, सरकारी एवं अन्य प्राधिकारी एवं अन्य विभाग के अनुमोदन तथा अन्य वैसे आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों, संस्वीकृतियों तथा जो वैसे प्राधिकारी (यों) द्वारा उस प्रकार के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों, संस्वीकृतियों को प्रदान करते समय किए गए वैसे संशोधनों, आशोधनों के अध्यधीन है और उसे शेयरधारकों का अनुमोदन है और एतद्द्वारा दिया जाता है कि निदेशक मंडल अर्ह सांस्थानिक खरीददारों, को जो बैंक के शेयर के धारक हों या नहीं, उन्हें अर्ह सांस्थिक प्लेस्मेंट के माध्यम से रु. 1000 करोड़ (एक हज़ार करोड़ मात्र) से अनधिक के कुल मूल्य के प्रीमियम राशि को शामिल करते हुए रु. 10 के अंकित मूल्य के प्रति ईक्विटी शेयर उस मूल्य या उन मूल्यों पर एक या एक से ज्यादा खेप में उस रीति से जो निदेशक मंडल को समुचित जान पड़े तथा जो सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुकूल हों, निर्गत तथा आबंटित करे।

आगे संकल्प लिया जाता है कि प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के तात्पर्य के अंतर्गत सिर्फ अर्ह सांस्थिक खरीददारों को ही किया जाएगा, ये प्रतिभूतियां पूरी तरह से प्रदत्त होंगी तथा इन प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के 365 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

आगे संकल्प लिया जाता है कि बैंक आईसीडीआर विनियम 176(1) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में शेयरों की न्यूनतम कीमत के 5% से अनधिक के बट्टे पर शेयर प्रदान करने के लिए अधिकृत है।

आगे संकल्प लिया जाता है कि प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत को नियत करने की तारीख आईसीडीआर विनियम के अनुसरण में होगी।

आगे संकल्प लिया जाता है कि अपना अनुमोदन,सहमति,अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या अधिरोपित किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।

आगे संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी सांस्थिक निवेशकों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना,यदि कोई हो,विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।

RESOLVED FURTHER THAT, the Board/Committee be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

Item No. 3 : Raising of equity capital through Qualified Institutions Placement:

To consider and if thought fit, to pass the following special resolution:

RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred to the Act), Banking Regulation Act 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003 (hereinafter referred to as "Bank Regulations"), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations"), Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (hereinafter referred to as "SEBI Act") as amended from time to time, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 including Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (hereinafter referred to as "SCRA"/"SCRR"), Income Tax Act, 1961 ("IT Act"), Depositories Act 1996 and the rules framed thereunder, the Foreign Exchange Management Act, 1999 ("FEMA"), the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2017, including any statutory amendments thereto or modifications or re-enactments thereof for the time being in force, and subject to the SEBI (Prevention of Insider Trading) Regulations 2015, SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) Regulations 2003, SEBI (Substantial Acquisition of Shares & Takeover) Regulations 2011, and subject to the approvals of the Government of India (hereinafter referred to as "GoI"), Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "SEBI"), Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI"), Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed, and from such other appropriate statutory, regulatory, Government and other authorities and departments as may be applicable in this regard, and such other approvals, consents, permissions and sanctions, as may be necessary, and subject to such conditions and modifications as may be prescribed or imposed upon by any such authority(ies) while granting such approvals, consents, permissions and sanctions, the consent of shareholders be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank or the committee to grant, offer, issue and allot by way of a qualified institutional placement, such number of equity shares of face value of Rs.10/- each to Qualified Institutional Buyers whether they be holders of shares of the Bank or not for an aggregate amount not exceeding Rs. 1000 Crore (Rupees One thousand crore only) in one or more tranches, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as deemed appropriate to the Board and in accordance with provisions of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, 2018.

RESOLVED FURTHER THAT the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Bank is, pursuant to first provision to Regulation 176(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

RESOLVED FURTHER THAT the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.

आगे संकल्प लिया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2003 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।

आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल अधिकृत हो और एतद्द्वारा उसे अधिकृत किया जाता है कि अपने संपूर्ण विवेक से जैसा वह ठीक समझे प्रस्ताव के नियम तय करे जिसमें उन निवेशकों का जिन्हें साम्या शेयर आबंटित किया जाना है उन निवेशकों की श्रेणी निर्धारित करना, प्रत्येक बार में कितने शेयर आबंटित करना है, उनकी संख्या तय करना, निर्गम की कीमत, निर्गम की प्रीमियम राशि तय करना भी शामिल है और जैसा वे अपने संपूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित अथवा वांछनीय समझें सारे कृत्य, कार्य, मामले तथा काम करे तथा वैसे सारे पत्र, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करें तथा प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन, तथा इस निर्गम के राशि के उपयोग तथा नियमों एवं शर्तों के संबंध में बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने पूर्ण विवेक के अनुसार जैसा वह उचित, तथा सम्यक समझे, ऐसे आशोधनों, परिवर्तनों, विचलनों, बदलावों, किसी भी प्रश्न, कठिनाई अथवा शंका के निवारण के लिए सदस्यों के किसी और अनुमोदन की अपेक्षा किए बिना तथा इस संकल्प के द्वारा बैंक तथा निदेशक मंडल को दी गई शक्तियों के द्वारा निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग करते हुए स्वीकार तथा प्रभावी करे।

आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों / बैंकरों/हामीदारों/निक्षेपागारों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के ईक्विटी / अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हो, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

आगे संकल्प लिया जाता है कि उक्त को प्रभावी किए जाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल, बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शियों तथा/अथवा अन्य व्यक्तियों के परामर्श से जैसा कि निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे निर्गम (मों) के रूप एवं नियमों को तय करने, जिसमें निवेशकों के वर्ग जिसे शेयर आबंटित किए जाने हैं, हर बार कितने शेयर आबंटित किए जाने हैं, निर्गम मूल्य, (यदि कोई प्रीमियम हो तो उसे शामिल करते हुए) अंकित मूल्य, रिकार्ड तारीख अथवा खाता बंदी तथा संबंधित एवं अनुषंगी मामले, भारत/विदेश में एक या एक से अधिक स्टाक एक्सचेंज में शेयर को सूचीबद्ध करना भी शामिल है, को निर्धारित करने के लिए अधिकृत हो और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

आगे संकल्प लिया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत हो।

आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने,जिन्हें वे आवयक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कठिन या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखत को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है,जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत जरूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझा जाए अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्टरूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है,ऐसा माना जाएगा।

आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके जरिए दिए गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक / कों या निदेशकों की समिति या ऐसे अन्य अधिकारी /(रियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-

(ऐ. के. गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 22.01.2019

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorised to determine the terms of the offer, including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alternations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies."

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, fixing of record date or book closure and related or incidental matter, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper of desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or to the Executive Director or to Committee of Directors or such other officer(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.

By Order of the Board Directors

sd/-

(A. K. Goel)
Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Kolkata
Date : 22.01.2019

नोटः

व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न किया जाता हैः

परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता- 700 001 के पास बैठक की तारीख से कम-से-कम **चार दिन** पूर्व यानी शुक्रवार, 15 फरवरी, 2019 को शाम 5.00 बजे बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व प्राप्त हो जाए। बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार नियुक्त परोक्षी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा परंतु वह अपने स्वीकृतिकर्ता की ओर से उपस्थित होकर मतदान कर सकता है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी भी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता- 700 001 में इस असाधारण आम बैठक की तारीख से कम-से-कम **चार दिन** पूर्व यानि शुक्रवार, 15 फरवरी, 2019 को शाम 5.00 बजे बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व प्राप्त न हो जाए।

बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों / परोक्षीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसे बैठक स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के परोक्षी / प्राधिकृत प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति 'परोक्षी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' लिखें।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक साधनों (रिमोट ई-मतदान) द्वारा मतदान करने की सुविधा देना बाध्यकारी है।

बैंक के शेयरधारक बैठक की सूचना में निहित जानकारी के अनुसार रिमोट ई-मतदान प्रणाली के जरिए विचारणीय मदों पर मत दे सकते हैं।

बैंक ने मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रह्मणियन एंड कं., कंपनी सचिव को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देख-रेख करेंगे।

रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं रीति निम्नानुसार होगी :

(क) रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में बैंक के वैसे शेयरधारकों के लिए अनुदेश जिनका डिमैट खाता/फोलियो नं. कार्वी की ई-वोटिंग सर्विसेज के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है और जिनके पास अपना विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है।

i. ई-मेल खोलें और पासवर्ड के रूप में अपने क्लायंट आईडी या फोलियो नं. से पीडीएफ फाइल अर्थात 'यूकोबैंक ई-वोटिंग पीडीएफ खोलें। उक्त पीडीएफ फाइल में ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है।

Notes:

The explanatory statement is annexed hereto.

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. upto 5.00 p.m on Friday, the 15th February, 2019. Any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Share and Meeting) Regulation, 2003.

The proxy so appointed shall not have any right to speak at meeting but such proxy can attend and vote on behalf of grantor.

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. upto 5.00 p.m on Friday, the 15th February, 2019.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

ATTENDENCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/ Proxy holders /Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the shareholders of the Bank, the facility to vote at the Extraordinary General Meeting by electronic means (remote e-voting).

Shareholders of the Bank can transact on the item of the business through remote e-voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING

(A) Instructions in respect of remote e-voting to Shareholders of the Bank whose demat account/folio in number has not been registered for e-voting services of Karvy and who do not have their existing user id and password.

  i. Open e-mail and open PDF file viz; 'UCO Bank e-voting pdf' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

ii. यूआरएल : https://evoting.karvy.com टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर शुरु करें।

iii. शेयरहोल्डर “लॉगइन” पर क्लिक करें।

iv. उपर्युक्त स्टेप (i) में नोट किया गया अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में लिखें। फिर से क्लिक करें।

v. पासवर्ड चेंज मेनू दिखाई पड़ेगा। पासवर्ड को अपने मनचाहे पासवर्ड से बदलें जिसमें न्यूनतम 8 अंक/कैरेकटर या दोनों का मिश्रण हो। कृपया इस नए पासवर्ड को नोट कर लें। इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को न बताएँ और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।

vi. “ई-वोटिंग” का होम पेज खुलेगा। “ई-वोटिंग” पर क्लिक करें। वोटिंग साइकिल को सक्रिय करें।

vii. यूको बैंक के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इवेंट नम्बर (EVEN) का चयन करें।

viii. “मतदान करे” (‘Cast Vote’) पृष्ठ खुलेगा। अब आप “ई-वोटिंग” कर सकते हैं। मतदान (वोटिंग) दिनांक 17 फरवरी, 2019 को पूर्वाह्न 9 बजे से शुरु होकर दिनांक 17 फरवरी, 2019 को अपराह्न 5 बजे तक चलेगा।

ix. उपयुक्त विकल्प का चयन कर अपना वोट दें तथा “सबमिट” पर क्लिक करें और प्राम्पट होने पर “कन्फर्म” (‘Confirm’) भी करें।

x. पुष्टि (कन्फॉर्मेशन) हो जाने पर “मतदान सफलतापूर्वक हुआ” (“Vote cast successfully) प्रदर्शित होगा।

xi. कारोबार मद पर एक बार मतदान कर देने के बाद आपको अपना मत बदलने की अनुमति नहीं होगी।

xii. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों को छोड़ कर, हिंदू अविभक्त परिवार, अनिवासी भारतीय आदि के अतिरिक्त) द्वारा संगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) तथा उसके साथ मतदान करने हेतु प्राधिकार प्राप्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के साक्ष्यांकित नमूना हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से scrutinizer@snaco.net पर भेजने होंगे तथा उसकी प्रति evoting@karvy.com को देनी होगी।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में बैंक के वैसे सदस्यों के लिए अनुदेश जिनका डिमैट खाता/फोलियो नं. कार्वी की ई-वोटिंग सर्विसेज के लिए पंजीकृत किया जा चुका है।

i. यूआरएल : https://evoting.karvy.com टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर शुरु करें।

ii. शेयरहोल्डर “लॉगइन” पर क्लिक करें।

अपना यूजर आईडी और विद्यमान पासवर्ड प्रविष्ट करें (यदि अपना पासवर्ड भूल गए हों तो https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password” विकल्प का प्रयोग करते हुए आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं)।

iii. “लॉगइन” क्लिक करें

iv. “ई-वोटिंग” का होम पेज दिखेगा। “ई-वोटिंग” पर क्लिक करें। वोटिंग साइकिल को सक्रिय करें।

v. कारोबार की मद के पक्ष में अपना वोट देने के लिए यूको बैंक के ई-वोटिंग ईवेन नं. (EVEN) का चयन करें। (कृपया यह नोट करें कि एक बार मतदान करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है)। संकल्प पर मतदान करने तक या वोटिंग अवधि की समाप्ति तक अर्थात 19.02.2019 (भारतीय मानक समय) के अपराह्न 5 बजे तक, इनमें से जो भी पहले हो, एक ईवेन (EVEN) के लिए आप कार्वी के ई-मतदान प्लॉटफॉर्म पर जितनी बार चाहें लॉगइन कर सकते हैं। मतदान की अवधि दिनांक 17.02.2019 को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगा।

vi. “मतदान करे” (‘Cast Vote’) पृष्ठ खुलेगा। अब आप “ई-वोटिंग” कर सकते हैं।

vii. उपयुक्त विकल्प का चयन कर अपना वोट दें तथा “सबमिट” पर क्लिक करें और प्राम्पट होने पर “कन्फर्म” (‘Confirm’) भी करें।

viii. संकल्प पर एक बार मतदान कर देने के बाद आपको अपना मत बदलने की अनुमति नहीं होगी।

ix. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों को छोड़ कर, हिंदू अविभक्त परिवार, अनिवासी भारतीय आदि) द्वारा संगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) तथा उसके साथ मतदान करने हेतु प्राधिकार प्राप्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के साक्ष्यांकित नमूना हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से scrutinizer@snaco.net पर भेजने होंगे तथा उसकी प्रति evoting@karvy.com को देनी होगी।

ii. Launch internet browser by typing the URL: https://evoting.karvy.com

iii. Click on Shareholder "Login"

iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.

v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. Home page of ë-voting" opens. Click on "ë-Voting" - Active Voting Cycles.

vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of UCO Bank.

viii. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences from 9 a.m. on 17th February 2019 and ends at 5 p.m. on 19th February 2019.

ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xi. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.

xii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

(B) Instructions in respect of remote e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of Karvy.

i. Launch internet browser by typing URL: https://evoting.karvy.com

ii. Click on Shareholder - Login

Enter your User ID and existing password (If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on https://evoting.karvy.com).

iii. Click "Login"

iv. Home page of "e-voting" appears. Click on "e-Voting"- Active Voting Cycles.

v. Select E-Voting Even Number (EVEN) of UCO Bank for casting your vote in favour of/ against the item of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified). For an EVEN, you can login any number of times on e-voting platform of Karvy till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e. up to 5 p.m. on 19.02.2019, whichever is earlier. Voting period commences from 9 a.m. on 17.02. 2019.

vi. Now you are ready for 'e-voting' as 'Cast Vote' page opens.

vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

viii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

ix. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

कृपया नोट करें कि :

- पोस्टल बैलट फॉर्म द्वारा या ई-वोटिंग प्लॉटफॉर्म पर मतदान करनेवाले शेयरधारकों के मताधिकार दिनांक 13.02.2019 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की पेड अप ईक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।
- गलत पासवर्ड डाल कर पाँच बार असफल प्रयास करने के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉगइन नहीं किया जा सकेगा। ऐसी अवस्था में इसे रीसेट करने के लिए आपको वेबसाइट पर उपलब्ध “पासवर्ड भूल गए” (‘Forgot Password’) विकल्प पर जाना होगा।
- आपके लॉगइन आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कंपनियों, जिसमें आप शेयरधारक हैं, के संकल्प (संकल्पों) पर ई-वोटिंग करने के लिए ही आप द्वारा किया जा सकेगा।
- इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को न बताएँ और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।
- ई-वोटिंग की सुविधा दिनांक 19.02.2019 को अपराह्न 5 बजे के बाद समाप्त कर दी जाएगी।
- अनेक फोलियो / खाता रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डीमेट खाता के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया को अपना सकता हैं। तथापि, शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार भारत सरकार के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक को बैंक के कुल शेयरधारण के 10 % से अधिक मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि आपको ई-वोटिंग के मामले में किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो या कोई मामला हो तो श्री एस.वी.राजू, उप महाप्रबंधक, कार्वी फिनटेक, प्रा.लि, कार्वी सेलेनियम टावर, प्लाट नं. 31-32, गाचिबोउली, फाइनैंसियल जिला, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032 से संपर्क कर सकते हैं या einward.ris@karvy.com को ई-मेल भेज सकते हैं।

असाधारण आम बैठक के स्थल पर मतदान/चुनाव:

रिमोट ई-मतदान के अलावा, बैठक स्थल पर मतदान उनके लिए भी आयोजित करवाया जाएगा जिन्होंने रिमोट ई-मतदान का अपना विकल्प नहीं लिया है। मतों की संख्या शेयरधारकों द्वारा अंतिम तारीख यानी 13.02.2019 को धारित शेयरों की संख्या के समतुल्य होगी।

रिमोट ई-मतदान के नतीजों के साथ समन्वित मतदान का समग्र परिणाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों, यानी एनएसई एवं बीएसई एवं ई-वोटिंग एजेंसी (मेसर्स कार्वी फिनटेक (प्रा.) लि.) को भी सूचित किया जाएगा।

Please note that:

- The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the Cut-off date i.e. 13.02.2019 for Shareholders voting by remote e-voting and voting at the Meeting.
- Login to e-voting Website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your Login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolution (s) placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- The e-voting facility shall be blocked forthwith on 19th February 2019 at 5 p.m.
- Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- In case you have any queries or issues regarding remote e-Voting, you may contact Shri S.V. Raju, Deputy General Manager, Karvy Fintech Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serillingampally, Hyderabad - 500 032 or write an email to einward.ris@karvy.com.

VOTING/POLLING AT THE VENUE OF EGM

Apart from remote e-voting, the voting shall also be conducted for those who have not exercised their option of remote e-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-off Date i.e. 13.02.2019

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be hosted on Bank's website and shall also be informed to the stock exchanges i.e., NSE & BSE and the e-voting agency (M/s. Karvy Fintech (P) Limited).

सूचना का अनुलग्नक

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या. 1: आधिमानिता के आधार पर भारत सरकार को ईक्विटी शेयर निर्गत करना

सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2018 के अनुसार आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन निम्नानुसार हैः

क) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य

बैंक बैंककारी तथा संबंधित कार्य करता है। अभी बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु 6,000 करोड़ है। 31 दिसंबर 2018 को बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी रु 3,955.14 करोड़ थी। भारत सरकार के पास रु 3,591.18 करोड़ की होल्डिंग थी जो बैंक की सकल प्रदत्त पूंजी का 90.8.% है।

बासेल III के अनुसार 30 सितंबर, 2018 को जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात में पूंजी निधि इस प्रकार थी:

विवरण	राशि (रु) करोड़ में	जोखिम भारित आस्तियों पर पूँजी निधि का %
जोखिम भारित आस्तियाँ	101829.63	7.57
टियर I पूँजी	5676.83	5.57
टियर II पूँजी	2194.70	2.00
कुल पूँजी	7871.53	7.57

बासेल - III नार्म के एक भाग के रूप में, बैंक ने भारत सरकार को अधिमानता के आधार पर ईक्विटी शेयर जारी कर ईक्विटी पूंजी उत्तापित करके अपने सामान्य ईक्विटी टीयर - I पूंजी का संवर्धन करने का निश्चय किया है। भारत सरकार ने अपने पत्र एफ सं.7/38/2014 बीओए दिनांक 28.12.2018 के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में अधिमानिता आबंटन तथा पूंजी अंशदान के रूप में बैंक की साम्या पूंजी में रु 3076 करोड़ की पूंजी लगाने की अपनी संस्वीकृति से हमें अवगत कराया तथा बैंक ने 31.12.2018 को वह पूंजी अंशदान प्राप्त कर लिया।

निदेशक मंडल ने 17 जनवरी, 2019 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में उक्त आबंटन का अनुमोदन कर दिया है। इसके बाद, बैंक केंद्रीय सरकार, भारिबैं, स्टाक एक्स्चेंज तथा अपने निदेशक मंडल एवं प्रयोज्य अन्य विनियामक निकाय का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

इस प्रकार उत्थापित पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य ईक्विटी एवं टीयर - I पूंजी को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा।

ख) यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार द्वारा जो बैंक का प्रवर्तक है, सब्सक्राइब किया जाएगा।

ग) निर्गम मूल्य आज तक यथा संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित हुआ है। निर्गम मूल्य निश्चित करने की तय तारीख 21 जनवरी, 2019 को ध्यान में रखते हुए निर्गम मूल्य रु 20.95 प्रति ईक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है।

घ) निर्गम के पूर्व और पश्चात शेयरधारिता पैटर्न:

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की सं.	शेयर धारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की सं.	शेयर धारिता का प्रतिशत
क.	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	359,11,82,024	90.80	505,94,39,780	93.29
ख.	गैर-प्रवर्तक धारिता	36,39,58,424	9.20	36,39,58,424	6.71
ग.	कुल	395,51,40,448	100.00	542,33,98,204	100.00

ANNEXURE TO NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT

Item No.1: Issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of SEBI ICDR Regulations 2018 are as follows:

a) Objects of the Preferential Issue

The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.6,000 crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st December, 2018 was Rs.3,955.14 crore with Government of India holding Rs.3,591.18 crore constituting 90.80% of the total paid-up capital of the Bank.

As of 30th September, 2018 the Capital Fund to Risk Weighted Assets under Basel-III was as under-

Particulars	Amount (Rs.in Crore)	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	101829.63	7.57
Tier-I Capital	5676.83	5.57
Tier-II Capital	2194.70	2.00
Total Capital	7871.53	7.57

As a part of implementation of Basel III norms, Bank decided to enhance its Common Equity Tier I capital by raising equity capital through issue of equity shares to Government of India on preferential basis. Government of India vide their letter F. No. 7/38/2014 - BOA dated 28.12.2018 communicated its sanction to infuse capital to the extent of Rs. 3076 crore during this financial year 2018-19 in the equity capital of the Bank by way of Preferential Allotment and the capital contribution was received by the Bank on 31.12.2018.

The Board of Directors at its Meeting held on 17th January, 2019 has approved the aforesaid allotment. Further, the Bank shall procure the necessary approvals from the Central Government, RBI, Stock Exchanges and such other regulatory bodies as may be applicable.

The capital raised would be utilized for the purpose of shoring up of the Common Equity and Tier - I capital of the Bank.

b) The entire issue will be subscribed by the Government of India - Promoter of the Bank.

c) The Issue Price shall be/has been determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2018 as amended up to date. The issue price so determined is Rs.20.95 per equity share considering that the relevant date for ascertaining the Issue Price is 21st January, 2019.

d) Shareholding Pattern before and after the Issue

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	**Promoter's Holding (Government of India)**	359,11,82,024	90.80	505,94,39,780	93.29
B.	**Non –Promoter Holding**	36,39,58,424	9.20	36,39,58,424	6.71
C.	**Total**	395,51,40,448	100.00	542,33,98,204	100.00

ङ) बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन 2018 में बतायी गई निर्दिष्ट समय–सीमा में ही निर्गम प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

च) चूँकि यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को किया जाना है जो बैंक का प्रमुख शेयरधारक एवं प्रवर्तक है, निर्गम के बाद नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

छ) भारत सरकार को निर्गमित एवं आबंटित सभी शेयर, ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित रहेंगे।

झ) भारत सरकार द्वारा की गई समग्र पूर्व-अधिमानित अवधारिता, संगत तारीख से प्रारंभ करके, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा मंजूर वाणिज्यिक ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से छह माह तक की अवधि के लिए आरक्षित रहेगी।

ज) सांविधिक लेखापरीक्षक (कों) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिससे प्रमाणित होता हो कि इस निर्गम को सेबी आईसीडीआर विनियमन की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा रहा है जिसे असाधारण आम बैठक के पटल पर रखा जाएगा।

ञ) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं और जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, उनके साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते के निर्धारण के अनुसार ईक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।

ट) भारत सरकार ने प्रासंगिक तारीख से पहले के छह माह के दौरान बैंक का कोई भी ईक्विटी शेयर नहीं बेचा है।

ठ) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 एवं सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2018 के विनियम 160 के अनुसरण में, अधिमानी आधार पर शेयर निर्गम एवं आबंटन के बर अक्स बैंक के सभी शेयरधारकों को शेयरों की पेशकश करने के विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

ड) जहाँ भी अपेक्षित हो, बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुरूप ईक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनर्गणना का वचन देता है।

ढ) बैंक वचन देता है कि यदि इस विनियमन में निर्धारित समयावधि के भीतर मूल्य की पुनर्गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ उस समय तक अवरुद्ध रहेंगी जब तक आबंटिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान न कर दिया जाए।

ण) बैंक और इसके निदेशकगण इरादतन चूककर्ता घोषित न हो।

त) आपके निदेशकगण सूचना में यथानिर्दिष्ट विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

थ) बैंक के निदेशकों में से कोई इस संकल्प से संबंधित और रुचि रखनेवाले नहीं है।

मद सं. 2: यूको बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना - 2019 के अंतर्गत शेयरों का निर्गम तथा आबंटन।

संभाव्य तथा गत्यात्मक कर्मचारियों को प्रेरित करने तथा अनुभवी कर्मचारियों को पुरस्कृत करने तथा उनको मान देने के लिए बैंक अपने भारत तथा विदेश में कार्यरत सभी स्थायी कर्मचारियों तथा अपने सभी पूर्णकालिक निदेशकों को यूको बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीएस) के कार्यान्वयन के जरिए नए ईक्विटी शेयर निर्गत करने का प्रस्ताव करता है। यह प्रस्तावित निर्गम बैंक की ईक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि करेगा।

वित्त मंत्रालय के पत्र सं. 11/13/2011-बीओए दिनांक जून 12, 2014 के अनुसार कर्मचारी शेयर खरीद योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को शेयर निर्गत करने की शक्ति यूको बैंक को प्राप्त है।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने 'यूको बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना - 2019' (यूको बैंक ईएसपीएस - 2019) नामक एक योजना रूपायित की है जिसका प्रशासन 'ईएसपीएस पर निदेशकों के समिति' करेगी और जो प्रयोज्य विधियों के अनुपालन के अध्यधीन होगा।

e) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed timelines as indicated in SEBI ICDR Regulations, 2018

f) As the entire issue is to be made to Government of India, the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the issue.

g) All the shares issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.

h) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval as granted by the stock exchanges.

i) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

j) All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

k) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

l) In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 160 of the SEBI ICDR Regulations 2018, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis vis-av-s offering shares to all the shareholders of the Bank.

m) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.

n) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

o) The Bank or its directors are not declared as willful defaulters.

p) Your directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the Notice.

q) None of the Directors of the Bank, the key managerial personal or their relatives are concerned or interested in the resolution.

Item No.2 : Issue & Allotment of Shares under UCO Bank Employee Share Purchase Scheme-2019

In order to motivate potential and dynamic employees and reward and recognise the experienced hands, the Bank proposes to issue new equity shares to all its permanent employees in India and abroad and all the Whole time Directors of the Bank, through implementation of Employee Share Purchase Scheme (ESPS). The proposed issue shall also augment Bank's equity capital.

Pursuant to Ministry of Finance's letter F.No.11/13/2011-BOA dated June 12, 2014 the Bank is empowered to issue shares to employees under an Employee Share Purchase Scheme.

In accordance with the provisions of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, the Bank has formulated a Scheme namely "UCO Bank EMPLOYEE SHARE PURCHASE SCHEME 2019" (UCO Bank ESPS 2019) which shall be administered and implemented by the "Committee of Directors on ESPS" and shall be subject to compliance with the applicable laws.

निर्गम की पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य

(क) कर्मचारी स्टाक खरीद योजना (ईएसपीएस) ईक्विटी आधारित कर्मचारी प्रोत्साहन योजनाओं में एक है जिसे सूचीबद्ध तथा गैरसूचीबद्ध दोनों ही प्रकार की संस्थाएं अपने कर्मचारियों में मालिकाना रुचि जगाने के लिए अपनाती हैं। यह योजना कार्पोरेट के प्रति जुड़ाव का भाव जगाती है तथा कर्मचारियों के हितों के साथ संगठन के दीर्घकालीन हितों को सुसंगत करके धारणीय संवृद्धि प्राप्त करने तथा शेयरधारकों का मूल्य बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करती है।

(ख) निर्गत किए जानेवाले प्रस्तावित उक्त ईक्विटी शेयर सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान साम्या शेयरों के समान होंगे।

(ग) सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी /पालिसी सेल/2/2015 दिनांक 16 जून, 2015 में जैसी अपेक्षा की गई है, यूको बैंक ईएसपीएस - 2019 की मुख्य नियम एवं शर्तें इस प्रकार होंगी :

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी /पालिसी सेल/2/2015 दिनांक 16 जून, 2015 में व्यक्त की गई अपेक्षा के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ, योजना की मुख्य नियम एवं शर्तें तथा अतिरिक्त प्रकटन इस प्रकार होंगे: इस प्रकार होंगी की गई है, यूको बैंक ईएसपीएस - 2019 की मुख्य नियम एवं शर्तें इस प्रकार होंगी:

1. योजना का संक्षिप्त विवरण

बैंक अपने सभी पात्र कर्मचारियों को यूको बैंक ईएसपीएस - 2019 में अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्त नियम एवं शर्तों पर प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अध्यधीन समुचित प्रीमियम पर रु 10 प्रति शेयर अंकित मूल्य के 20,00,00,000 ईक्विटी शेयरों से अनधिक ईक्विटी शेयरों के निर्गम के लिए ईक्विटी शेयर प्रदान करने का इच्छुक है।

2. स्वीकार किए जानेवाले शेयरों की कुल संख्या

यूको बैंक ईएसपीएस - 2019 के अनुसरण में सभी पात्र कर्मचारियों को कुल 20 करोड़ तक नए साम्या शेयर निर्गत करने का प्रस्ताव किया जाता है।

3. यूको बैंक ईएसपीएस - 2019 योजना में भाग लेने तथा उसके लाभुक होने के लिए पात्र कर्मचारियों की श्रेणी की पहचान करना।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक को शामिल करते हुए बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी।

4. भेस्टिंग की अपेक्षाएं तथा उसकी अवधि

अप्रयोज्य।

5. अधिकतम अवधि (सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2014 के विनियम 18(1) तथा 24(1), जैसी स्थिति हो के अध्यधीन) जिसके भीतर विकल्प/एसएआरएस (स्टॉक विवर्धन अदिकार) लाभ निहित होंगे।

अनुप्रयोज्य।

6. क्रय कीमत या कीमत निर्धारण फार्मुला

बैंक के पात्र कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत आबंटित किए जानेवाले शेयरों की कीमत निदेशक मंडल/समिति द्वारा तय की गई आफर के खुलने की तारीख के ठीक पहले के दो सप्ताहों की अवधि में एनएससी द्वारा कोट किए गए ईक्विटी शेयरों की साप्ताहिक अधिकतम एवं न्यूनतम आकार भारित औसत कीमत के औसत का 25% से अनधिक के बट्टे पर तय की जाएगी। ईक्विटी शेयरों की कीमत अथवा कीमत निर्धारण फार्मुला सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार नियत किया जाता है।

7. कार्रवाई की अवधि एवं उसकी प्रक्रिया

निदेशक मंडल/समिति के निर्णय के अनुसार जिस अवधि तक निर्गम खुला रहेगा वह कार्रवाई की अवधि होगी। कार्रवाई की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ पात्र कर्मचारियों को दिए गए प्रस्ताव, आवेदन-पत्रों का प्राप्त होना तथा योजन आके अनुरूप अंशदान की राशि तथा शेयरों का आबंटन शामिल है।

Background and Object of the Issue:

(a) Employee Stock Purchase Scheme (ESPS) is one of the equity-based employee incentive plans used by the both listed and unlisted entities, to give ownership interest to their employees. The scheme gives sense of belonging to the corporate and also keeps employees motivated to achieve sustained growth and enhance shareholder value by aligning the interests of the Employees with the long term interests of the organisation.

(b) The equity shares proposed to be issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

(c) The broad terms and conditions of the "UCO Bank ESPS 2019" as per the requirements enumerated by SEBI through Circular No. CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated 16th June, 2015 are as under-

As per the requirements enumerated by Securities and Exchange Board of India through Circular No.CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated 16th June, 2015 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the scheme and additional disclosures:

1. **BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME**

The Bank is desirous of offering equity shares to all eligible employees of the Bank on such terms and conditions as stated under "UCO BANK ESPS 2019" for issue of equity shares subject to the applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter alia, not exceeding 20,00,00,000 equity shares at a face value of Rs. 10/ each with appropriate premium.

2. **TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED**

Upto 20 Crore new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the eligible employees under pursuant to the UCO BANK ESPS 2019.

3. **IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTIPATE AND BENEFICIARIES IN THE SCHEME "UCO BANK ESPS 2019"**

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Director of the Bank

4. **REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING**

Not applicable

5. **MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS,2014 AS THE CASE MAY BE WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs(STOCK APPRECIATION RIGHTs)/BENEFIT SHALL BE VESTED**

Not Applicable

6. **PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA**

The price of the shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be at a discount of 25% of the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the Equity shares quoted on NSE during the two weeks preceding the opening date of offer which will be determined by the Board/Committee. Purchase Price or pricing formula is determined for issue of Equity shares as per SEBI regulations.

7. **EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE**

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter-alia, include offer made to the Eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme

8. योजना के लिए कर्मचारियों की अर्हता नियत करने के लिए किए जाने वाले मूल्यांकन की प्रक्रिया

योजना के आरंभ होने की तारीख को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक को शामिल करते हुए बैंक के सभी अर्ह कर्मचारी प्रयोज्य विनियामक अपेक्षाओं एवं दिशानिर्देशों के अध्यधीन सहभाग करने के अर्ह होंगे।

9. प्रत्येक कर्मचारी को निर्गत किए जानेवाले शेयरों की अधिकतम संख्या तथा उसकी सकल संख्या

योजना के अनुसार जारी किए गए शेयर बैंक की निर्गमित पूंजी के एक प्रतिशत से ज्यादा नहीं होंगे।

10. योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी को प्रदान कराए जाने वाले लाभ की अधिकतम प्रमात्रा

योजना के अंतर्गत अर्ह कर्मचारियों को निर्गमित ईक्विटी शेयरों के अलावा कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

11. क्या यह योजना (एं) बैंक द्वारा सीधे या किसी ट्रस्ट के माध्यम से कार्यान्वित तथा प्रशासित होगी

यह योजना बैंक द्वारा सीधे कार्यान्वित तथा प्रशासित की जाएगी।

12. क्या योजना(ओं) में बैंक द्वारा नए शेयरों का निर्गमन किया जाएगा या ट्रस्ट द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण होगा या दोनों

योजना के तहत बैंक नए इक्विटी शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी करेगा।

13. योजना (ओं) के कार्यान्वयन के लिए बैंक द्वारा ट्रस्ट को प्रदान की जानेवाली ऋण राशि, उसकी अवधि, उसका व्यवहार, भुगतान अवधि आदि

योजना के अंतर्गत चूंकि ये शेयर बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को सीधे निर्गत किए जाने हैं अत: ट्रस्ट बनाने तथा उसे ऋण प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

14. द्वितीयक अधिग्रहण की अधिकतम प्रतिशतता जिसे सेबी विनियमों की निर्दिष्ट सीमा के अधीन ट्रस्ट द्वारा योजना(ओं) के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

अप्रयोज्य।

15. कंपनी सेबी (एसबीईबी) विनियम 2014 के विनियम 15 में यथा विनिर्दिष्ट लेखाकरण नीतियों का पालन करेगी, इस आशय का एक वक्तव्य

बैंक समय-समय पर प्रयोज्य सेबी(एसबीईबी) विनियम 2014 के विनियम 15 में यथा विनिर्दिष्ट लेखाकरण नीतियों का पालन करेगा।

16. प्रकिया जिसे कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयोग करेगी ।

चूँकि योजना के तहत सिर्फ ईक्विटी शेयर जारी किए जाते हैं,एसएआर के मूल्य निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

17. निम्नलिखित विवरणी,यदि लागू हो :

यदि बैंक यथार्थ मूल्य के आधार पर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विकल्प को नहीं चुनता है तो परिकलित कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत व उचित मूल्य के उपयोग पर आने वाले कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के अंतर को निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा और इस अंतर की वजह से कंपनी बैंक के लाभ व प्रति शेयर अर्जन ('ईपीएस') पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

बैंक उक्त अपेक्षाओं का जब और यहाँ प्रयोज्य होगा, पालन करेगा।

8. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMNING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE SCHEME

All Eligible Employees including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of commencement of the Scheme will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

9. MAXIMUM NUMBER OF SHARES TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE

The shares issued pursuant to SCHEME shall not exceed 1% of the issued capital of the Bank.

10. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME

Other than Equity shares issued to the Eligible Employees under the Scheme, no other benefit is to be provided to the Employees

11. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST

The Schme will be implemented and administered directly by the Bank.

12. WHETHER THE SCHEMES(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE BANK OR SECONDRAY ACUQISITION BY THE TRUST OR BOTH

Under the Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees

13. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE BANK TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS ETC

As the shares are directly issued to the eligible employees under Scheme by the Bank, formation of the trust or providing loan to the Trust does not arise.

14. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISTION SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PUPOSES OF THE SCHEME(S)

Not Applicable

15. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS 2014

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SBEB Regulations as applicable from time to time.

16. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs

As only Equity shares are issued under Scheme, the valuation of options or SARs does not arise

17. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE

'In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share (EPS) of the Bank shall be disclosed in the Directors' Report.

The Bank will comply with the above requirements as and when applicable

18. अवरुद्धता अवधि

योजना के अंतर्गत जारी ईक्विटी शेयर सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार आपने आबंटक के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध रहेगी।

प्रस्तावित विशेष संकल्प यदि पारित हो जाता है तो वह बैंक के निदेशक मंडल या इस मामले में शक्ति सम्पन्न उसकी समिति को ईक्विटी शेयरों का उपर्युक्त निर्गमन तथा आबंटन करने का अधिकार देता है। अत: उक्त समर्थकारी संकल्प का अनुमोदन किया जाता जाता है कि वह निदेशक मंडल को निर्गम को अंतिम रूप दे सकने के लिए पर्याप्त नमनीयता तथा विवेकाशीन शक्तियाँ दे।

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक उक्त संकल्प से संबंधित अथवा उसमें रुचि रखनेवाले समझे जाएँगे। अन्य निदेशकगण उक्त संकल्प से संबंधित अथवा उसमें रुचि रखनेवाले समझे नहीं जाएँगे।

मद संख्या. 3: अर्ह सांस्थिक प्लेसमेंट के माध्यम से ईक्विटी पूंजी उत्थापित करना।

कारोबार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आईएफआरएस के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता तथा बैंक के पूँजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए तथा बासेल - III मानक के अनुपालन के लिए बैंक के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अतिरिक्त ईक्विटी पूंजी उगाहे।

मार्च 31, 2019 को 10.875% के समग्र वांछित विनियामक अनुपात के साथ 8.875 % (1.875 % के पूँजी संपरिवर्तन बफर (सीसीबी) को शामिल करते हुए) की टीयर - I पूँजी अनुपात को बनाए रखने के लिए बैंक को ईक्विटी पूँजी उगाहने की आवश्यकता है।

बैंक रु. 1000 करोड़ की कुल राशि उत्थापित करने के लिए निदेशक मंडल अथवा समिति तथा सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के अनुसार जो समुचित लगें उन नियमों एवं शर्तों पर, उस कीमत पर अथवा कीमतों पर, अर्ह सांस्थिक क्रेताओं को रु. 10 के अंकित मूल्य के प्रति ईक्विटी शेयर निर्गत करने का प्रस्ताव करता है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प यदि पारित हो जाता है तो वह बैंक के निदेशक मंडल या इस मामले में शक्ति सम्पन्न उसकी समिति को प्राधिकृत करता है कि वह (वे) ईक्विटी शेयरों का उपर्युक्त निर्गमन तथा आबंटन करे (रें) अत: उक्त समर्थकारी संकल्प का अनुमोदन किया जाता जाता है कि वह निर्गम के निदेशक मंडल को निर्गम को अंतिम रूप दे सकने के लिए पर्याप्त नमनीयता तथा विवेकाशीन शक्तियाँ दे। अत: उक्त प्रस्ताव पर आपकी सहमति की आवश्यकता है। बैंक का कोई निदेशक इस संकल्प से संबंधित अथवा उसमें रुचि रखनेवाला नही है।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-

(ऐ. के. गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 22.01.2019

18. LOCK IN PERIOD

The equity shares issued under Scheme shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SBEB Regulations.

The proposed Special Resolution, if passed, shall authorize the Board of Directors of the Bank or the Committee thereof empowered in this regard, to make the above-mentioned issuance and allotment of equity shares. The aforesaid enabling resolution is therefore recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue. Hence consent of the shareholders is requested for the above proposal.

The Managing Director & CEO, the Executive Directors and Key Managerial Personnel of the Bank are deemed to be concerned or interested in the above Resolution. Other Directors are not interested or concerned in the aforementioned Resolution.

Item No. 3 : Raising of equity capital through Qualified Institutions Placement:

Considering the business forecast, requirement of additional capital for implementation of IFRS, and the need for strengthening the Bank's capital base and to ensure compliance to BASEL - lll norms, it has become necessary for the Bank to raise additional equity capital.

The Bank will be required to raise equity capital in order to maintain Tier l capital ratio of 8.875% (including Capital Conservation Buffer (CCB) of 1.875%) with overall required regulatory ratio of 10.875% as on March 31, 2019.

Bank proposes to issue such number of equity shares of face value of Rs.10/- each to Qualified Institutional Buyers to raise an aggregate amount of Rs.1000 Crore at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as deemed appropriate to the Board or the committee and in accordance with provisions of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, 2018.

The proposed Special Resolution, if passed, shall authorize the Board of Directors of the Bank or the Committee thereof empowered in this regard, to make the above-mentioned issuance and allotment of equity shares. The aforesaid enabling resolution is therefore recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue. Hence your consent is requested for the above proposal. None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By Order of the Board Directors

sd/-

(A. K. Goel)
Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Kolkata
Date : 22.01.2019

जिन शेयरधारकों के पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में हैं उनको अपने शेयरों को अमूर्त कराने के लिए स्मरण-पत्र

यूको बैंक में शेयर ट्रेडिंग के अंतरण के लिए अनिवार्य अमूर्तिकरण

ग़जट अधिसूचना दिनांक जून 8, 2018 द्वारा अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40 में हुए संशोधन के आलोक में शेयरों के सभी अंतरण दिनांक दिसंबर 05, 2018 से अनिवार्य रूप से सिर्फ अमूर्त रूप में किए जाने थे, बाद में इसे बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2019 कर दिया गया। बैंक ने इस अपेक्षा की सूचना व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से दिनांक 15.10.2018 को दी है।

तदनुसार, 01.04.2019 से कोई शेयर भौतिक रूप से अंतरित नहीं किया जा सकेगा। तथापि उक्त प्रतिबंध प्रतिभूतियों के ट्रांस्मिशन अथवा ट्रांस्पोजिशन के लिए लागू नहीं होंगे।

उक्त संशोधनों के आलोक में बैंक के शेयरधारकों से जो यूको बैंक के भौतिक शेयर धारण करते हैं, एक बार फिर अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को अमूर्त कर लें। शेयरधारक अपना डीमैट खाता नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपोजिटरीज़ लि. अथवा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज़ इंडिया लि. इन दोनों में से किसी डिपोजिटरी में किसी भी डिपोजिटरी भागीदार के माध्यम से खोल सकते हैं।

डीमैट रूप में शेयर रखने के लाभ इस प्रकार हैं :

i. भौतिक रूप में रखे गए शेयर प्रमाणपत्र के नष्ट होने अथवा खो जाने की संभावाना समाप्त हो जाती है।

ii. शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के साथ कपट होने, या फाड़ दिए जाने या कट-फट जाने की संभावना भी नहीं रह जाती।

iii. अमूर्तिकरण से शेयरों की कागज विहीन खरीद-बिक्री आसान तथा सुविधाजनक बन जाती है।
एकबार जब डीपी के साथ डीमैट खाता खुल जाए तो शेयरधारक शेयर की खरीद तथा बिक्री बिना किसी काग़जी कार्रवाई के, जैसा कि भौतिक शेयर प्रमाणपत्र आधारित लेनदेन में होता है, इलेक्ट्रानिक रूप में ही कर सकते हैं।

iv. डीमैट रूप में शेयरों के अंतरण में स्टाम्प शुल्क नहीं लगता है।

भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के अमूर्तिकरण की प्रक्रिया :

1. जिन शेयर धारकों के पास डीमैट खाता नहीं है उनके लिए :

शेयरधार (कों) को किसी भी डिपोजिटरी भागीदार (डीपी) के पास जाकर उस डीपी के पास उसी नाम में जिस नाम (मों) में यूको बैंक का शेयर है, एक डीमैट खाता खोलना होगा। डीमैट खाता खुलने के बाद शेयरधारक को सम्यक रूप से भरे गए तथा हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध पत्र (डीआरएफ) के साथ अपना मूल शेयर प्रमाणपत्र डीपी के पास समर्पित कर देना होगा वह उसे बैंक के आरटीए यथा कार्वी फिनटेक प्रा. लि. के पास भेज देगा। आरटीए डीआरएफ की जांच/सत्यापन करेगा और यदि सही पाया जाएगा तो शेयरों को अमूर्त कर दिया जाएगा तथा आरटीए के द्वारा उन शेयरों के बराबर मूल्य के शेयर डीमैट खाते में जमा कर दिए जाएंगे।

2. जिन शेयर धारकों के पास डीमैट खाता है उनके लिए :

जिन शेयरधारकों के पास पहले से ही डीमैट खाता है उनके अपेक्षा है कि वे यह देख लें कि उनका वह खाता यूको बैंक के शेयरहोल्डिंग के नाम (मों) में तथा उसी तरीके से है। यदि ऐसा है तो शेयरधारक (कों) को सम्यकरूप से भरे गए तथा हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध पत्र (डीआरएफ) के साथ अपना मूल शेयर प्रमाणपत्र को अमूर्तिकरण के लिए डीपी के पास प्रस्तुत करना होगा।

यदि विद्यमान डीमैट खाता उसी क्रम तथा नाम में नहीं है तो शेयरधारक (कों) से अपेक्षा होगी कि वे दिशानिर्देश के लिए अपने डीपी से संपर्क करें। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप यथाशीघ्र ऊपर स्पष्ट किए गए तरीके से अपने शेयरहोल्डिंग को भौतिक रूप से डीमैट रूप में बदल दें।

शेयरधारकों को अपने पैन तथा बैंक विवरण देने के लिए स्मरणपत्र

पैन तथा बैंक विवरण का अनिवार्य अद्यतनीकरण

सेबी के 20 अप्रैल, 2018 के परिपत्र के अनुसरण में शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस पत्र की प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर फोलिओ में पंजीकरण के लिए अपना पैन तथा बैंक विवरण मे. कार्वी फिनटेक प्रा. लि, हैदराबाद को उपलब्ध कराएं। बैंक ने इस अपेक्षा की सूचना व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से दिनांक 15.10.2018 को दी है। शेयरधारकों से फिर अनुरोध है कि अभिलेख को अद्यतनित करने के लिए वे इस पत्र की प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर निम्नलिखित विलेख उपलब्ध कराएं:

- सम्यक रूप से भरे गए तथा सभी शेयरधार (कों) द्वारा हस्ताक्षरित फार्मेट
- सभी शेयरधारक (कों) के पैन कार्ड की उनके द्वारा स्वअभिप्रमाणित प्रति (यां)
- रद्द किया हुआ चेक पन्ना जिस पर उनका नाम लिखा हो (यदि नाम चेक के पन्ने पर छपा हुआ नहीं हो तो पास-बुक के पहले पृष्ठ की स्वअभिप्रमाणित प्रति)
- पते का प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर पहचान-पत्र अथवा ड्राइविंग लाइसेंस अथवा पासपोर्ट)

यदि पैन/बैंक विवरण हमारे रजिस्ट्रार के पास पहले से ही अद्यतनित हों, तो इसकी ज़रूरत नहीं है।

REMINDER TO SHAREHOLDERS WHO ARE HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES

Mandatory dematerialisation for transfer of securities of shareholding in UCO Bank.

Pursuant to amendment to Regulation 40 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, vide gazette notification dated June 8, 2018 all the transfer of shares shall be mandatorily carried out in dematerialised form only w.e.f. December 05, 2018 subsequently the date is extended to 1st April 2019. Bank has informed about above requirements through personalized letters on 15.10.2018

Accordingly, with effect from 01.04.2019, no shares can be transferred in physical form. However, above restriction do not apply for the requests for transmission or transposition of securities,

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of UCO Bank, are once again requested to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz, National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

Advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;

ii. Cases of forgery or tearing or mutilation of share certificate(s) are eliminated;

iii. Dematerialisation provides the ease and convenience of Paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a DP, shareholder can buy or sell shares in electronic form without any paperwork as applicable to Physical share certificate based transaction(s).

iv. No stamp duty is payable on transfer of shares in Demat form.

Process for Dematerialization of shares in Physical form:

1. For shareholder(s) who are not having a Demat account :

The shareholder(s) is/are required to approach any Depository Participant (DP) and open a Demat Account with a DP in the same name(s) and style in which the shareholder(s) holds shares in UCO Bank. After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the Original Share Certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTAs, i.e. Karvy Fintech Pvt. Ltd. The RTAs will scrutinize/verify the DRF and, if, found in order, the shares will be dematerialized and equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s) by RTAs.

2. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder(s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in UCO Bank. If yes, shareholder (s) has to submit duly filled in and signed DRF alongwith original share certificate to the DP for dematerialization of the shares.

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance, We request you to convert your Shareholdings from physical form to Demat form at the earliest in view of the advantages of Demat holding as explained above.

REMINDER TO SHAREHOLDERS FOR PROVIDING PAN & BANK DETAILS

Mandatory recording of PAN & Bank details

Pursuant to SEBI circular dated 20th April, 2018, the shareholders are requested to furnish PAN and Bank Account particulars to M/s. Karvy Fintech Private Limited, Hyderabad, for registration in the folio within 21 days from the receipt of the letter. Bank has informed about above requirements through personalized letters on 15.10.2018. The shareholders are once again requested to submit the following documents within 21 days from the receipt of this letter to update the records:

- Duly filled in format and signed by all the shareholder/s
- Self-attested copy/ies of Pan Card/s of all the Shareholder/s
- Cancelled Cheque leaf with name (if name is not printed, self-attested copy of the pass book first page)
- Address proof (self-attested copy of Aadhaar-card or Voter ID or Driving License or Passport)

If PAN/Bank Mandate details are already updated with our Registrars, this can be ignored.

FORMAT FOR FURNISHING THE PAN AND BANK DETAILS

To
Karvy Fintech Private Limited, Unit: UCO BANK
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad - 500 032

Dear Sir,

Unit: UCO BANK : Folio No:

I/We furnish below our folio details along with PAN and Bank Accounts details for updation and confirmation of doing the needful. I/We are enclosing the self-attested copies of PAN cards, original cancelled cheque leaf with name (if name is not printed, self-attested copy of the first page of the pass book of the Bank) and address proof viz., Aadhaar card of all the shareholder(s) for the said purpose :

Folio No.	
Address of the 1st named shareholder as per the share certificate	
Mobile No	
E-Mail id	

Bank Account Details : (for electronic credit of unpaid dividends and all future dividends)			
Name of the Bank			
Name of the Branch			
Account Number (as appearing in your cheque book)			
Account Type (Saving / Current / Cash Credit)	**Saving**	**Current**	**Cash Credit**
9 Digit MICR Number (as appearing on the MICR cheque issued by the bank) Please enclose a photocopy of a cheque for verification			
11 Digit IFSC Code			

	PAN No.	**Name**	**Signature**
First Holder :			
Joint Holder 1 :			
Joint Holder 2 :			

Date :

Place :

NB: The above details will not be updated if the said documents are not attached and not duly signed by all the shareholder(s). The shareholders who have already submitted the aforesaid documents, may please ignore this letter.

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय, 10 वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता - 700001

फार्म 'बी'

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त न हों)		(यदि शेयर अमूर्त हों)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

मैं/हम .... निवासी................................ जिला ....राज्य .... यूको बैंक, कोलकाता का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती ....निवासी ....जिला .... राज्य को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती .... निवासी ....जिला ....राज्य .... को 20 फरवरी, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा भवन सभागार, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडेयर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 में या इसकी स्थगित तिथि को यूको बैंक के शेयरधारकों की होनेवाली असाधारण आम बैठक में मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना परोक्षी नियुक्त करता हूं / करते हैं।

दिनांक................................ 2019 को .... दिन हस्ताक्षरित।

कृपया एक रुपये का राजस्व टिकट चिपकाएं

परोक्षी (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

....

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नामः ....

पताः ....

....

....

परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

1. परोक्षी लिखत तभी वैध होगा जब
   (क) व्यक्तिगत शेयर धारक के मामले में उसके/लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   (ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नामित शेयर धारक या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   (ग) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह, उसके अधिकारी या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
2. जिस परोक्षी लिखत पर शेयर धारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में अक्षम होने के कारण अंगूठा निशान अंकित करता है वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
3. परोक्षी के साथ
   (क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
   (ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा प्राधिकार की प्रति असाधारण आम बैठक की तिथि से चार दिन पहले, अर्थात व्यवसाय समय की समाप्ति को या उससे पहले, अर्थात 15 फरवरी, 2019 को अपराह्न 05.00 बजे तक या उससे पहले यूको बैंक, वित्त विभाग, (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता 700001 में जमा की जानी चाहिए।
4. कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक वह **फार्म "बी"** पर एवं विधिवत स्टाम्पित न हो।
5. बैंक में जमा की गई परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
6. यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों को स्वीकृत की गई हो तो एक फार्म से ज्यादा निष्पादित नहीं किया जाएगा।
7. जिस शेयर धारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
8. यूको बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

यूको बैंक UCO BANK

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700001

Form 'B'

Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(if shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

I/We ___________________________________ resident/s of ___________________________________ in the district of ________________________ in the state of ________________ , being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/Smt. ___________________________ resident of _________________________________ in the district of ________________________________ in the state of ___________________________ or failing him, Shri/Smt. ______________________ resident of ___________________________________ in the district of ___________________________ in the state of _________________ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of UCO Bank, to be held on 20th February, 2019 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027 and at any adjournment thereof.

Signed this……………..day of………..2019

Please Affix Rs.1/- Revenue Stamp

Signature of Proxy

Signature of first named/sole Shareholder

Name : ....

Address :..

....

Instructions for Signing and Lodging the Proxy form

1. No instruments of proxy shall be valid unless,
   (a) In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorized in writing;
   (b) In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
   (c) In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing,
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
3. The proxy together with
   (a) The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), No.2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of Bank i.e. up to 5.00 PM on 15th February, 2019.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per **Form "B"** and is duly stamped.
5. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता - 700001

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल पर प्रवेश के समय इसे जमा किया जाए)

दिन एवं समय : 20 फरवरी, 2019 समय : प्रातः11.00 बजे

स्थानः भाषा भवन सभागार, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर

कोलकाता - 700027

मैं एतद्द्वारा बैंक की असाधारण आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूं।

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम	पंजीकृत फोलियो /डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता - 700001

प्रवेश पत्र

असाधारण आम बैठक

दिन एवं समय : 20 फरवरी, 2019 समय : प्रातः11.00 बजे

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

सदस्य / परोक्षी का नाम बड़े अक्षरों में	फोलियो / ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर

शेयरधारकों/परोक्षी/ प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक हाल में प्रवेश करने के लिए हस्ताक्षरित उपस्थिति-पर्ची सह प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला अंश शेयरधारकों/परोक्षी/ प्रतिनिधियों को वापस लौटा दिया जाएगा जिसे वे बैठक के अंत तक संभालकर रखें। तथापि, प्रवेश सत्यापन/जाँच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्त के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता - 700001

(मतदान काउंटर पर जमा कर दिया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी
(यदि शेयर अभौतिक न हों)	(यदि शेयर अभौतिक हों)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	
उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

तारीख : 20 फरवरी, 2019

UCO BANK

10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

Attendance Slip

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date &Time : 20th February, 2019 at 11.00 A M.

Venue: Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Name of the Shareholder/Proxy/ Representative present	Regd.Folio / DPID/ Client ID No.	No. of Shares	Signature

UCO BANK

Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

ENTRY PASS

Extraordinary General Meeting

Date &Time : 20th February, 2019 at 11.00 A M.

(To be retained throughout the meeting)

Name : in BLOCK letters /Member / Proxy	Folio / Client ID No.	No. of Shares	Signature

Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/ checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

UCO BANK

Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

(To be surrendered at the Polling counter)

Regd. Folio No.	DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)	(if shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		
Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present		

Date : 20th February, 2019